अजितसिंह अर्जुनसिंह गोहिल

बनाम

गुजरात बार काउंसिल और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 8307/2015)

अप्रैल 06,2017

[दीपक मिश्रा और ए.एम. खानविलकर, जे.जे.]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961: धारा 36 बी(एल) - अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत - धारा 36 बी(1) के तहत निहित शासनादेश के अनुसार राज्य बार काउंसिल से अनुशासनात्मक कार्यवाही का बार काउंसिल ऑफ जंडिया (बीसीजे) को स्थानांतरण -क्या बीसीजे, शिकायत की जांच करने और उस पर निर्णय देने के बजाय, इसे निर्धारित समय के भीतर विवाद का फैसला करने के निर्देश के साथ राज्य बार काउंसिल को वापस भेज सकता है - माना गया: जब धारा 36 बी(1) और धारा 36 के तहत प्रयुक्त भाषा को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि विधायिका चाहती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को राज्य बार काउंसिल द्वारा एक विशेष समय सीमा के भीतर समाप्त कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूरी चीज़ बीसीजे को हस्तांतरित हो जाती है, जो जांच करने के लिए बाध्य है - एक बार शिकायत से निपटने का मूल अधिकार क्षेत्र बीसीजे को स्थानांतरित हो जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बीसीजे द्वारा निपटान में रिमांड शामिल होगा - विधायिका ने कभी भी शिकायतकर्ता या अपराधी वकील के दृष्टिकोण से यह इरादा नहीं किया कि बीसीजे को हस्तांतरित की गई शिकायत को फिर से राज्य बार काउंसिल को भेजा जाए।

धारा 36 बी(1) और धारा 37 के बीच अंतर - माना गया: बीसीजे धारा 37 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और धारा 36 बी(1) के तहत मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग

करता है - धारा 37 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, बीसीजे मामले को राज्य बार काउंसिल को भेज सकता है, जबकि, धारा 36बी(एल) के तहत शिकायत से निपटने का मूल क्षेत्राधिकार बीसीजे को स्थानांतरित कर दिया गया है, इस प्रकार, इसे राज्य बार काउंसिल - बीसीजे को वापस नहीं भेजा जा सकता है।किसी शिकायत के स्थानांतरण पर मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट- निर्देश - वैधानिक निकाय द्वारा कर्तव्य का पालन - राज्य बार काउंसिल के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान नहीं करते पाया गया - माना गया: अनुशासनात्मक कार्यवाही से निपटने की जिम्मेदारी राज्य बार काउंसिल पर डाली गई है, जो अपनी अनुशासनात्मक समिति का गठन करती है - एक वैधानिक प्राधिकारी खुद को लगातार याद दिलाने के लिए बाध्य है कि क़ानून का आदेश समीचीन है और" समय की शर्त अनिवार्य है - राज्य बार काउंसिलों को अनुशासनात्मक समिति की प्रगति के संबंध में मामलों का समय-समय पर जायजा लेने और देरी के कारण का पता लगाने और शीघ्रता से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया ताकि काउंसिल, वैधानिक निकाय के रूप में, अधिनियम के तहत आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य निभा सकें।

क़ानून की व्याख्या - पाठ और संदर्भ पर - चर्चा की गई।

अधिवक्ता - कानूनी पेशे का बड़प्पन - माना जाता है: एक वकील वादियों के प्रति लोको पैरेंटिस में खड़ा होता है - उसका अपने मुवक्किल के प्रति सर्वोपरि कर्तव्य है और मुवक्किल निःस्वार्थ, ईमानदार और ईमानदार उपचार प्राप्त करने का हकदार है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. वैधानिक प्रावधान में प्रयुक्त भाषा को समझने के लिए, पाठ्य व्याख्या पर जोर देना होगा जो संदर्भ से मेल खाए और विधायिका के इरादे का पता लगाए। शब्दों को इसके पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए और इसलिए, इरादे के साथ चिंता मूल रूप से उस शब्द के अर्थ को समझने की है जो विधायिका ने इसमें रखा है। जब धारा 36 बी (एल) और धारा 36 के तहत प्रयुक्त भाषा को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि विधायिका चाहती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को राज्य बार काउंसिल द्वारा एक विशेष समय सीमा के भीतर समाप्त कर दिया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूरी चीज़ बीसीआई को हस्तांतरित हो जाती है, जो जांच कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकार समझा जाए तो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत से निपटने का मूल अधिकार क्षेत्र बीजीआई को हस्तांतरित हो गया है। एक बार जब मूल क्षेत्राधिकार स्थानांतरित हो जाता है, तो उस भाषा पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता है जिसे बीसीआई निपटान कर सकता है जिसमें निपटान का कोई भी तरीका शामिल होगा जिसमें रिमांड भी शामिल होगा। यह न तो विधायी इरादा है और न ही विधायी उद्देश्य। विधायिका का यह इरादा कभी नहीं था कि किसी वकील के खिलाफ शिकायतकर्ता के नजरिए से या अपराधी की ओर से की गई शिकायत को बीसीआई में स्थानांतरित कर दिया जाए, फिर से वापस भेज दिया जाए। [पैरा 23, 271 1996-ई; 998-डी-एफजे]

2.1 एक बार जब किसी वादी द्वारा शिकायत की जाती है, तो उसे एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने के लिए अधिनियम के आदेश के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक होता है। या राज्य बार काउंसिल के कहने पर कार्यवाही शुरू होने की तारीख। कई अवसरों पर, इस न्यायालय के ध्यान में यह आया है कि राज्य बार काउंसिल का अनुशासनात्मक प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर

शिकायत का निपटान नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही बीसीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। अनुशासनात्मक कार्यवाही से निपटने की जिम्मेदारी राज्य बार काउंसिल पर डाली गई है जो अपनी अनुशासनात्मक समिति का गठन करती है। अनुशासन समिति का प्रत्येक सदस्य जानता है कि कार्यवाही एक वर्ष के भीतर समाप्त की जानी है। शिकायतकर्ता और अपराधी वकील को सहयोग करना आवश्यक है। जो कुछ करना आवश्यक है उसे न करना गैर-जिम्मेदारी के समान है और जिम्मेदारी निभाने में किसी संस्था या वैधानिक निकाय की प्रतिष्ठा निहित होती है। कोई भी निर्णय लेने में हमेशा सही नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय लेने से पीछे हटना और मामले को कानून के तहत बीसीआई को स्थानांतरित करने की अनुमति देना नहीं है। एक वैधानिक प्राधिकारी खुद को लगातार यह याद दिलाने के लिए बाध्य है कि क़ानून का आदेश समीचीन है और समय की शर्त अनिवार्य है। अनुशासन समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह एक समय सीमा के भीतर अपना कर्तव्य निभाए और दोषपूर्ण स्थिति पैदा न करे। जब कर्तव्य कानून द्वारा दिए जाते हैं, तो कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। [पैरा 42] [1003-डी-जी]

2.2 यह सलाह दी जाती है कि राज्य बार काउंसिल अनुशासनात्मक समिति की प्रगति के संबंध में प्रत्येक बैठक में मामलों का समय-समय पर जायजा लें, देरी के कारण का पता लगाएं और शीघ्रता से कार्य करने के लिए खुद को निर्देशित करें ताकि काउंसिल, एक वैधानिक निकाय के रूप में , अधिनियम के तहत आदेशानुसार अपना कर्तव्य करता है। [पैरा 431 [1004-ए-बी]

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य (1987) 1 एससीसी 424: [1987) 2 एससीआर 1; आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया (1988) 4 सेकंड 284: [19881 2 सप्ल.एससीआर 528; एस. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य (1996) 4 एससीसी 596: [19961 3

सप्ल.एससीआर 439; गुजरात उच्च न्यायालय और अन्य बनाम गुजरात किशन मजदूर पंचायत और अन्य (2003) 4 एससीसी 712: [20031 2 एससीआर 799; नरेंद्र सिंह बनाम छोटे सिंह और अन्य (1983) 4 एससीसी 131; राजा राम महादेव परांजपे बनाम आबा मारुति माली [19621 सप्ल.1 एससीआर 739; आर वी. बोटेलर (1864) 33 एलजेएमसी 101 : 122 ईआर 718; पर। महेंद्रू बनाम जिला न्यायाधीश, दिल्ली (1971) 3 एससीसी 5: [19711 2 एससीआर 11; संजीव दत्ता, उप. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जेएन रे (1995) 3 सेकंड 619: [19951 3 एससीआर 450; सुधा बनाम अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, चेन्नई और अन्य (2010) 14 एससीसी 114: (20101 14 एससीआर 289; धनराज सिंह चौधरी बनाम नाथूलाल °विश्वकर्मा (2012) 1 एससीसी 741: 120111 16 एससीआर 240; वी.सी. रंगादुरई बनाम डी. गोपालन और अन्य (1979) 1 एससीसी 308: 119791 1 एससीआर 1054; पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे और अन्य (1984) 2 एससीसी 556: [19841 1 एससीआर 414 - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[19871 2 एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 23
[19881 2 सप्ल.एससीआर 528	संदर्भित	पैरा 24
[19961 3 सप्ल.एससीआर 439	संदर्भित	पैरा 25
[20031 2 एससीआर 799	संदर्भित	पैरा 26
(1983) 4 धारा 131	संदर्भित	पैरा 28
(19621 सप्ल.1 एससीआर 739	संदर्भित	पैरा 29
122 ईआर 718	संदर्भित	पैरा 29

[19711 2 एससीआर 11	संदर्भित	पैरा 29
[19951 3 एससीआर 450	संदर्भित	पैरा 32
[20101 14 एससीआर 289	संदर्भित	पैरा 35
(2011) 16 एससीआर 240	संदर्भित	पैरा 38
[19791 1 एससीआर 1054	संदर्भित	पैरा 39
(1984) 1 एससीआर 414	संदर्भित	पैरा 41

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8307/2015।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की अनुशासनात्मक समिति के बी.सी. प्रकरण संख्या 197/2011 में दिनांक 20.06.2015 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए बी एम एल लाहोटी, वकील, (ए.सी.) अनूप कुमार, श्रीमती नेहा जयसवाल, वकील।

डी. एन. रे, लोकेश के. चौधरी, श्रीमती सुमिता रे, प्रीत पाल सिंह, उत्तरदाताओं के वकील।

न्यायालय का फैसला **न्यायाधीश दीपक मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में जिस एकमात्र मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्थानांतरण के बाद, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (संक्षिसता के लिए, "अधिनियम") की धारा 36बी(1) के तहत राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दिए गए आदेश के अनुसार, बीसीआई, शिकायत की जांच करने और उस पर निर्णय देने के बजाय, इसे निर्धारित समय के भीतर विवाद का फैसला करने के निर्देश के साथ राज्य बार काउंसिल को वापस भेज दें। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बीसीआई के विद्वान वकील श्री प्रीत पाल सिंह यह

स्वीकार करेंगे कि उक्त वैधानिक प्राधिकरण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। गुजरात राज्य बार काउंसिल की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री डी.एन. रे अपने पूरे जोर-शोर से यह प्रतिपादित करेंगे कि बीसीआई के पास इस तरह का आदेश पारित करने का निरंकुश क्षेत्राधिकार है, क्योंकि यह अधिनियम के तहत सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और इसके पास पूर्ण शक्तियां हैं और किसी भी स्थिति में, वैधानिक प्रावधान की भाषा इसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अनुप कुमार, जैसा कि अपेक्षित है, श्री सिंह के प्रस्ताव से सहमत हैं और आगे कहते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निपटान में लगने वाले समय ने अपीलकर्ता को दुख की स्थिति में डाल दिया है और, इसलिए, इस न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत को रद्द कर देना चाहिए ताकि समय की बर्बादी अपीलकर्ता को उपचार का स्पर्श दे सके और उस पीड़ा को समाप्त कर सके जो उसने पहले ही सहन कर ली है।

2. ऐसी स्थिति में, उचित विचार करते हुए, न्यायालय ने विद्वान वकील श्री एम.एल.लाहोटी को न्यायालय के मित्र के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने अत्यधिक आश्वासन के साथ प्रस्तुत किया कि राज्य बार काउंसिल के रुख को स्वीकार करना न केवल विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा के विपरीत होगा, बल्कि इससे अत्यधिक हिंसा होगी और इस न्यायालय का कर्तव्य विधायी इरादे को पूर्ण अर्थ देना है।

3. हम संक्षेप में तथ्यात्मक स्कोर बता सकते हैं। अपीलकर्ता, जिसे बार काउंसिल ऑफ गुजरात में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था, 2007 में गांधीनगर बार एसोसिएशन के सचिव के पद के लिए चुना गया और बाद में उन्हें 2008 में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एक श्री जे'डी. कनानी, जो बार एसोसिएशन के सचिव थे, ने मतभेदों के कारण झूठे आरोप लगाए और अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे नागरिक और आपराधिक मामले दायर किए और इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सचिव को दिनांक 04.09.2008 को एक पत्र भी लिखा,

जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें कुछ रिकॉर्ड और खातों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया और बार एसोसिएशन की बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया। अपीलकर्ता और श्री पी.डी.कनानी के बीच मतभेद और गलतफहमी दूर हो गई और 18.09.2008 को पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ और अपीलकर्ता द्वारा खातों की किताब और अन्य रिकॉर्ड श्री कनानी को सौंप दिए गए।

4. जब एक वर्ष और तीन महीने के बीतने पर सब कुछ शान्त हो गया, बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने अपने बी.सी.संकल्प संख्या 176/2009 दिनांक 06.12.2009 के तहत श्री पी.डी.कनानी द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया और आगे एक आरोप लगाया कि उसे अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से दिनांक 01.06.2010 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। दिनांक 01.06.2010 के पत्र के आधार पर, बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने अपीलकर्ता के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया और मामले को अनुशासन समिति III को भेज दिया। शिकायत डीसी केस संख्या 25/2010 के रूप में दर्ज की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने अनुशासनात्मक परिषद संख्या 1 के समक्ष डी.सी. केस संख्या 25120 आईओ के साथ-साथ डी.सी. केस संख्या 15/2010 की सुनवाई करने का निर्णय लिया। अपीलकर्ता का मामला फिर से अनुशासनात्मक समिति संख्या XII और फिर से अनुशासनात्मक परिषद संख्या IX में स्थानांतरित कर दिया गया।

6. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स में दर्शाया जाएगा, अपीलकर्ता को, आवेदन दाखिल करने पर, अपने लिखित तर्क दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने अपने आदेश दिनांक 17.05.2011 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ डी.सी. केस संख्या 15/2010 का फैसला किया और अपीलकर्ता का नाम बार काउंसिल ऑफ गुजरात के

रोल से हटाने का निर्देश दिया और 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। हालाँकि, वैधानिक अवधि के दौरान डी.सी. केस नंबर 25/2010 में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका, इसके बाद, बार काउंसिल ऑफ गुजरात की अनुशासनात्मक समिति ने दिनांक 24.08.2011 के पत्र के माध्यम से डी.सी. केस संख्या 25/2010 को बीसीआई को स्थानांतरित कर दिया, जिसे बीसीआई ट्र.केस संख्या 197/2011 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

7. अपीलकर्ता ने बीसीआई की अनुशासन समिति के समक्ष तर्क दिया कि रजिस्ट्रार (निरीक्षण), गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.20 को लिखा गया ऐसा कोई पत्र नहीं था जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया हो। . अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुशासन समिति ने आदेश जारी किया। दिनांक 20.06.2015 ने मामले को एक वर्ष की अवधि के भीतर मामले को निपटाने के निर्देश के साथ बार काउंसिल ऑफ गुजरात को भेज दिया। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

8. जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अनुप कुमार ने प्रस्तुत किया कि बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति इस मामले को बार काउंसिल ऑफ गुजरात की अनुशासनात्मक समिति को नहीं भेज सकती थी क्योंकि यह उस मामले में स्वीकार्य नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 36 बी(1) के तहत कानून के संचालन द्वारा बीसीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है।

9. प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री रे, अपनी बारी में तर्क देंगे कि यदि धारा 36 बी(एल) और धारा 36(2) में प्रयुक्त भाषा को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बीसीआई द्वारा स्थानांतरण पर कार्यवाही से निपटने की शक्ति अलग है, क्योंकि क़ानून बीसीएल को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और इसके दायरे और

स्वीप में ऐसी पूर्ण शक्तियों में रिमांड की शक्ति शामिल होगी। वह इन शब्दों पर जोर देंगे कि "उसे ऐसे निपटाया जा सकता है जैसे कि यह धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत जांच के लिए निकाली गई कार्यवाही थी और उस आधार पर यह प्रतिपादित करें कि उक्त शब्द बीसीएल को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र को केवल मामले का निर्णय लेने तक ही सीमित नहीं रखते हैं।

10. बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और बीसीआई द्वारा बनाए गए नियमों की गहन जांच करना आवश्यक है। इससे पहले, यह ध्यान में रखना होगा कि यह अधिनियम कानूनी चिकित्सकों से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए लागू किया गया था। अधिनियम के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है, जो इस प्रकार हैं:-

"विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं, -

1. अखिल भारतीय बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की एक सामान्य सूची की स्थापना, और सामान्य सूची के अधिवक्ताओं को देश के किसी भी हिस्से और उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा;

2. वकील के रूप में जाने जाने वाले कानूनी पेशेवरों के एक ही वर्ग में बार का एकीकरण;

3. अधिवक्ता बनने के लिए व्यक्तियों के प्रवेश के लिए एक समान योग्यता का निर्धारण;

4. योग्यता के आधार पर अधिवक्ताओं का वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं अन्य अधिवक्ताओं में विभाजन;

5. स्वायत्त बार काउंसिल का निर्माण, पूरे भारत के लिए एक और प्रत्येक राज्य के लिए।

अखिल भारतीय बार समिति और विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बाद, विधेयक ने इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान करके, कलकत्ता और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अब प्रचलित दोहरी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली के निरंतर अस्तित्व को मान्यता दी: यह, हालाँकि, यदि दो उच्च न्यायालय चाहें तो वे इस प्रणाली को किसी भी समय बंद करने के लिए तैयार रहें। यह विधेयक, एक व्यापक उपाय होने के नाते, भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 और इस विषय पर अन्य सभी कानूनों को निरस्त करता है।"

11. धारा 2(ई) "बार काउंसिल ऑफ इंडिया" को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"बार काउंसिल ऑफ इंडिया" का अर्थ उन क्षेत्रों के लिए धारा 4 के तहत गठित बार काउंसिल है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है।

12. धारा 3 राज्य बार काउंसिल से संबंधित है। धारा 4 में प्रावधान है कि जिन क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, वहां बार काउंसिल होगी, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाएगा और यह निर्धारित किया गया है कि उक्त बार काउंसिल के सदस्य कौन होंगे। धारा 6 राज्य बार काउंसिल के कार्यों का वर्णन करती है। धारा 6(1)(सी) राज्य बार काउंसिल को अपने रोल पर अधिवक्ताओं के खिलाफ कदाचार के मामलों पर विचार करने और निर्धारित करने का अधिकार देती है। धारा 7

भारत की बार काउंसिल के कार्यों का वर्णन करती है। धारा 9 अनुशासन समितियों से संबंधित है। उक्त प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"धारा 9. अनुशासनात्मक समितियाँ। -

(1) एक बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासनात्मक समितियों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक में तीन व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें से दो काउंसिल द्वारा अपने सदस्यों में से सहयोजित व्यक्ति होंगे और दूसरा परिषद द्वारा उन अधिवक्ताओं में से सहयोजित व्यक्ति होगा, जिनके पास धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट योग्यताएं हैं और जो परिषद के सदस्य नहीं हैं और अनुशासनात्मक समिति के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा।

(2) उपधारा(1) में किसी बात के होते हुए भी,अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1964, (1964 का 21) के प्रारंभ होने से पहले गठित कोई भी अनुशासनात्मक समिति उसके समक्ष लंबित कार्यवाही का निपटान कर सकती है जैसे कि इस धारा को उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया था।"

13. अध्याय V में शीर्षक "अधिवक्ताओं का आचरण" शामिल है। धारा 35 कदाचार के लिए अधिवक्ताओं की सजा से संबंधित है। धारा 35(1) में कहा गया है कि जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके रोल पर कोई भी वकील कदाचार का दोषी है, तो वह मामले को अपनी अनुशासनात्मक समिति को निपटान के लिए संदर्भित करेगा। धारा 35 (आईए ए) राज्य बार काउंसिल को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, उसकी अनुशासनात्मक समिति के समक्ष लंबित कार्यवाही को

वापस लेने और उस राज्य बार काउंसिल की किसी अन्य अनुशासनात्मक समिति द्वारा जांच करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। धारा 35 की उपधारा (3) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों की प्रकृति का प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> "धारा 35(3) - राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति संबंधित अधिवक्ता और महाधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दे सकती है, अर्थात्: -
>
> (ए) शिकायत को खारिज कर देगा या, जहां कार्यवाही राज्य बार काउंसिल के कहने पर शुरू की गई थी, निर्देश देगा कि कार्यवाही दायर की जाए;
>
> (बी) वकील को डांटना;
>
> (सी) वकील को ऐसी अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित करना जो वह उचित समझे;
>
> (डी) अधिवक्ताओं की राज्य सूची से अधिवक्ता का नाम हटा दें।"

14. धारा 36 बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक शक्तियों से संबंधित है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

> **"धारा 36. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक शक्तियां-**
>
> 1) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी वकील जिसका नाम किसी भी राज्य रोल में दर्ज नहीं है, पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है, इसे निपटान के लिए मामले को इसकी अनुशासनात्मक समिति को भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी राज्य बार काउंसिल की रिपोर्ट पर या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसे किया गया आवेदन, किसी भी राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष लंबित किसी भी वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यवाही को अपने सामने जांच के लिए वापस ले सकता है और उसका निपटान कर सकता है।

(3) इस धारा के तहत किसी भी मामले का निपटारा करने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति, जहां तक संभव हो, अधिवक्ता के संदर्भ में धारा 35 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी- उस अनुभाग में जनरल को भारत के अटॉर्नी-जनरल के संदर्भ के रूप में समझा जा रहा है।

(4) इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही के निपटान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति कोई भी आदेश दे सकती है जो राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा, 35 की उप-धारा (3) के तहत कर सकती है, जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए कोई कार्यवाही वापस ले ली गई है] संबंधित राज्य बार काउंसिल ऐसे किसी भी आदेश को प्रभावी करेगी।"

15. धारा 368 जो 31.01.1974 से लागू हुई है, अनुशासनात्मक कार्यवाही के निपटान का प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"धारा 368. अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटारा-

(1) राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति धारा 35 के तहत प्राप्त शिकायत का शीघ्रता से निपटान करेगी और प्रत्येक मामले में कार्यवाही शिकायत प्राप्त होने की तारीख से या राज्य बार काउंसिल के कहने पर कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी, जैसा भी मामला हो, ऐसा न होने पर ऐसी कार्यवाही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी जाएगी जो इसका निपटान इस तरह कर सकता है जैसे कि यह धारा 36 की उपधारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ पर, किसी वकील के खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक मामले के संबंध में कोई कार्यवाही राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष लंबित है, राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति ऐसी शिकायत की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, या, जैसा भी मामला हो, राज्य बार काउंसिल के कहने पर कार्यवाही शुरू होने की तारीख के भीतर इसका निपटान करेगी। जो भी बाद में हो, ऐसा न होने पर ऐसी अन्य कार्यवाही उपधारा के तहत निपटान के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी जाएगी।"

16. उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि यदि अधिनियम की धारा 35 के तहत किसी अपराधी अधिवक्ता के खिलाफ शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही कानून के संचालन द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त नहीं की जाती है, इसे बीसीआई को हस्तांतरित कर दिया गया है और बीसीआई को इसका निपटान करने के लिए अधिकृत

किया गया है जैसे कि यह अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही थी और इसलिए, राज्य बार काउंसिल का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। धारा 36 की उप-धारा (2) में नियोजित भाषा पर भी जोर दिया गया है कि बीसीआई के पास स्वयं का या किसी राज्य बार काउंसिल की रिपोर्ट पर अधिकार है या अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यवाही से पहले जांच के लिए वापस लेने के इच्छुक व्यक्ति की अनुशासनात्मक समिति द्वारा इसे दिया गया एक आवेदन। धारा 36 की उप-धारा (4) में इस्तेमाल की गई भाषा पर जोर दिया गया है ताकि यह उजागर किया जा सके कि बीसीआई का अनुशासन प्राधिकरण एक आदेश देने का हकदार है, राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत कार्रवाई कर सकती है और इसके अलावा जहां बीसीआई की अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए कोई कार्यवाही वापस ले ली गई है, संबंधित राज्य बार काउंसिल ऐसे किसी भी आदेश को प्रभावी करेगी।

17. विद्वान वकील आगे आग्रह करेंगे कि यदि अपीलकर्ता द्वारा रखी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो बीसीआई पर विभिन्न राज्य बार काउंसिलों की मूल कार्यवाही का बोझ बढ़ जाएगा और अधिनियम की धारा 368 (आई) के तहत शरारत को ठीक करने की मांग की जाएगी। अर्थात्, शिकायत का समय पर निपटान, वैधानिक उद्देश्य को विफल कर देगा।

18. विद्वान न्याय मित्र का मानना है कि एक बार जब कोई मामला कानून के तहत स्थानांतरित हो जाता है, तो उसकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेना उसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि धारा 36 बी की उप-धारा (1) के तहत प्रयुक्त भाषा दो अवधारणाओं को समाहित करती है, अर्थात् , (i) एक वर्ष के भीतर निष्कर्ष निकालने में विफलता पर कार्यवाही का स्थानांतरण, और (ii) बीसीआई को इसका निपटान करना है जैसे कि यह धारा 36 की उपधारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई

कार्यवाही थी। आगे विस्तार से बताते हुए, वह आग्रह करेंगे कि कानून के संचालन से स्थानांतरण होता है और निपटान इस तरह किया जाना चाहिए जैसे कि यह धारा 36 की उपधारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो। विद्वान वकील के अनुसार, एक बार जब कानून के तहत मामला स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे बीसीआई द्वारा निपटाया जाना चाहिए और निपटान का तरीका उसे मामले को राज्य बार काउंसिल को वापस भेजने का अधिकार क्षेत्र नहीं देगा।

19. इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 37 का उल्लेख करना उचित है जो बीसीआई में अपील करने का प्रावधान करती है। यह निर्धारित करता है कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के संचार की तारीख से 60 दिनों के भीतर बीसीआई में अपील कर सकता है और आगे ऐसी अपील की सुनवाई बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति द्वारा की जाएगी, जो राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दी गई सजा को अलग-अलग करने के आदेश सहित ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

20. अधिनियम की धारा 42 जो अनुशासनात्मक समिति की शक्ति से संबंधित है। बार काउंसिल की अनुशासन समिति के पास वही शक्तियां हैं जो जांच से संबंधित कुछ मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, ऐसी प्रत्येक अनुशासनात्मक समिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480, 482 और 485 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान धारा 42 की उपधारा (3) की ओर आकर्षित किया है जो इस प्रकार है:-

"या उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से, एक अनुशासनात्मक समिति उन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक अदालत को कोई सम्मन या अन्य प्रक्रिया भेज सकती है, जहां यह अधिनियम विस्तारित है, एक गवाह की उपस्थिति या समिति या किसी भी आयोग द्वारा आवश्यक दस्तावेज के उत्पादन के लिए जिसे वह जारी करना चाहता है, और सिविल कोर्ट ऐसी प्रक्रिया की तामील कराएगा या ऐसा आयोग जारी कराएगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसी किसी भी प्रक्रिया को इस प्रकार लागू कर सकता है जैसे कि वह स्वयं से पहले उपस्थिति या उत्पादन की प्रक्रिया हो।"

21. उक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बीसीआई के पास उचित समझे जाने पर आदेश पारित करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं औरवैधानिक हस्तांतरण के कुछ मामलों में या कानून के संचालन द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो भारी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी और अन्याय होने की संभावना है और कभी-कभी अपराधी वकील के कारण भी। संक्षेप में, उक्त प्रतिवादी के विद्वान वकील की दलील यह है कि जांच के हस्तांतरण के बाद, बीसीआई को कानून द्वारा अनिवार्य रूप से जांच पूरी करने और आदेश पारित करने का आदेश नहीं दिया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 35(3) के तहत प्रदान किया गया है। उन्होंने धारा 49 से भी प्रेरणा ली है जो अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन के लिए बीसीआई को शक्ति प्रदान करती है। उनका आग्रह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भाग VII के नियम 18(5) में इस्तेमाल की गई भाषा की उचित सराहना होने पर रिमांड के आदेश पर विचार किया गया है। नियम 18(5) इस प्रकार है:-

"नियम 18(5) किसी राज्य बार काउंसिल या अन्यथा की रिपोर्ट पर विचार करने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति ऐसे आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे।"

22. इस प्रकार, जैसा कि पहले पूछा गया था, प्रश्न मूल रूप से बीसीआई के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित है। जैसा कि धारा 36 बी(एल) में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है, स्थानांतरण कानून के संचालन द्वारा होता है। बीसीआई को इसका निपटान करने का एक और आदेश है जैसे कि यह धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो। इस प्रकार, शिकायत की जांच और निपटान का अधिकार क्षेत्र अधिनियम के आदेश द्वारा बीसीआई को प्रदान किया गया है। सन्दर्भ, इरादा और उद्देश्य शीशे की तरह साफ है। बीसीआई को मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है जिसका प्रयोग राज्य बार काउंसिल द्वारा किया जाना था।

23. वैधानिक प्रावधान में प्रयुक्त भाषा को समझने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य1 में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. को क्या कहना था, उसे दोबारा दोहराया जा सकता है: -

"33. व्याख्या को पाठ और संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। कोई यह कह सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सर्वोत्तम है जो पाठ्य व्याख्या को प्रसंगानुकूल बनाती है। किसी क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब होती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों अधिनियमित किया गया..."

24. आत्मा राम मित्तल बनाम जश्वर सिंह पुनिया2 में सब्यसाची मुखर्जी, जे. (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) ने संसद की मंशा या, दूसरे शब्दों में, लोगों की इच्छा पर जोर देते हुए कहा:-

> "9... ब्लैकस्टोन हमें बताता है कि विधायक की इच्छा की व्याख्या करने का सबसे निष्पक्ष और सबसे तर्कसंगत तरीका सबसे प्राकृतिक और संभावित संकेतों द्वारा, उस समय उसके इरादों की खोज करना है जब कानून बनाया गया था और ये संकेत या तो शब्द, संदर्भ, विषय-वस्तु, प्रभाव और परिणाम, या कानून की भावना और कारण हैं। (अदालत द्वारा जोर) इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियाँ देखें (1765 के प्रथम संस्करण की प्रतिकृति, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, 1979, खंड 1, पृष्ठ 59)। मुखर्जी, जे. उस समय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, पोपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य 3 में कहा गया कि प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अधिनियम के उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए। लेकिन शब्दों को उनके पीछे के उद्देश्य की कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए, जज लर्नड हैंड ने बहुत पहले कहा था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि हम इरादे की तलाश से चिंतित हैं, हम विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ और उन शब्दों के सही अर्थ को देख रहे हैं, जैसा कि लॉर्ड रीड ने ब्लैक-क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम पापियरवेर्के वाल्डहोफ-असचा.फेनबर्ग ए.जी. 4 में कहा था। हमारी स्पष्ट राय है कि भाषा को ध्यान में रखते हुए हमें कारण और कानून की भावना का पता लगाना चाहिए...."

25. एस. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. 5 राज्य में, न्यायालय ने कहा:-

"क़ानून की व्याख्या का यह एक प्रसिद्ध नियम है कि किसी क़ानून में प्रयुक्त किसी भी अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय पूरे अधिनियम के पाठ और संदर्भ को देखा जाना चाहिए। अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालतों को उस उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए जिसे क़ानून प्राप्त करना चाहता है। अधिनियम की व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है।"

26. गुजरात उच्च न्यायालय और अन्य बनाम गुजरात किशन मजदूर पंचायत और अन्य में संदर्भ के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

"38. रीड डिकर्सन द्वारा लिखित द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, पृष्ठ 135 पर लेखक ने निम्नलिखित शब्दों में क़ानून के संदर्भ के महत्व से निपटते हुए विषय पर चर्चा की है:

"... भाषा का सार स्थापित विचारों और मूल्यों के वैचारिक मैट्रिक्स को प्रतिबिंबित करना, व्यक्त करना और शायद प्रभावित करना है जो उस संस्कृति की पहचान करता है जिससे वह संबंधित है। इस कारण से, भाषा को 'मानव अनुभव का वैचारिक मानचित्र' कहा गया है।"

27. उपरोक्त प्राधिकारी पाठ्य व्याख्या पर जोर देते हैं जो संदर्भ से मेल खाएगी और विधायिका के इरादे का पता लगाएगी। अधिकारी आगे इस बात पर जोर देते हैं कि शब्दों को इसके पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए और इसलिए, इरादे के साथ चिंता मूल रूप से उस शब्द के अर्थ को समझने की है जो विधायिका ने इस पर रखा है। जब धारा 368(1) और धारा 36 के तहत प्रयुक्त भाषा को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि विधायिका चाहती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को राज्य बार काउंसिल द्वारा एक विशेष समय सीमा के

भीतर समाप्त कर दिया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूरी चीज़ बीसीएल को स्थानांतरित हो जाती है, जो जांच का कारण बनने के लिए बाध्य है। इस प्रकार समझा जाए तो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत से निपटने का मूल अधिकार क्षेत्र बीसीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। एक बार जब मूल क्षेत्राधिकार स्थानांतरित हो जाता है, तो उस भाषा पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता है जिसे बीसीआई निपटान कर सकता है जिसमें निपटान का कोई भी तरीका शामिल होगा जिसमें रिमांड भी शामिल होगा। यह न तो विधायी इरादा है और न ही विधायी उद्देश्य। जैसा कि हम पाते हैं, विधायिका का यह इरादा कभी नहीं था कि किसी वकील के खिलाफ शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से या अपराधी की ओर से की गई शिकायत को बीसीआई में स्थानांतरित कर दिया जाए, फिर से वापस भेज दिया जाए।

28. इस स्तर पर, हम यह कहना उचित समझते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसका उपयोग बीसीएल धारा 37 के तहत करता है और धारा 368(1) के तहत मूल क्षेत्राधिकार के बीच अंतर है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, बीसीएल मामले को राज्य बार काउंसिल को भेज सकता है। इस संदर्भ में, नरेंद्र सिंह बनाम छोटे सिंह और अन्य 7 मामले में तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ का संदर्भ उपयुक्त होगा। उक्त मामले में, धारा 35 के तहत राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के एक आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाली बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के दायरे और अधिकार क्षेत्र के संबंध में सवाल उठा। उसी से निपटते हुए, न्यायालय ने कहा: -

> "8 .... अपीलीय निकाय को बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है क्योंकि यह किसी भी आदेश को पारित करने में सक्षम है जैसा वह उचित समझे। व्यापक आयाम का यह क्षेत्राधिकार अपने दायरे में सजा को अलग-अलग करने की शक्ति रखता है जिससे सजा में वृद्धि होगी और

सज़ा में बदलाव या बढ़ोतरी करते समय अपीलीय निकाय का एकमात्र दायित्व उस व्यक्ति की बात सुनना है जिसके इस तरह के आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।"

29. इसके बाद न्यायालय ने एक अर्ध-न्यायिक निकाय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे के मुद्दे को संबोधित किया, जिसका अधिकार क्षेत्र "जैसा वह उचित समझे" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसने राजा राम मलजादेव परांजपे बनाम अबा मारुति माली" और आर बनाम बोटेलर 9 में अधिकारियों का उल्लेख किया और राय दी कि विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकार किया गया है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है और इतना व्यापक विवेकाधिकार देने के कारण। ओ.एन.महेंद्रू बनाम जिला न्यायाधीश, दिल्ली के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि धारा 38 के तहत अपील से निपटने के लिए, न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित नहीं था, क्योंकि न्यायालय न केवल कानून पर बल्कि तथ्यों पर अपील पर भी सुनवाई कर रहा है। उक्त निर्णय में, समीक्षा करने की शक्ति सहित शक्ति के आयाम की जांच करते हुए, न्यायालय ने कहा: -

"ऐसी शक्तियों का प्रयोग किसी उपयुक्त मामले में किसी वकील के पक्ष या विपक्ष में किया जा सकता है, भले ही मामला किसी स्तर पर अनुशासनात्मक समिति के हाथों में या इस न्यायालय के माध्यम से चला गया हो। ये मामले आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऑट्रेफ़ोइस दोषी या ऑटोरेफ़ॉइस बरी की सादृश्य द्वारा शासित नहीं होते हैं। एक वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में न केवल विशेष वकील बल्कि पूरा पेशा शामिल होता है। कानूनी पेशे की प्रतिष्ठा व्यवसायियों की

प्रतिष्ठा का कुल योग है। वकील का सम्मान और पेशे की पवित्रता प्राथमिक विचार हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं।"

इतना कहने के बाद, न्यायालय ने कहा कि किसी पेशे के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसकी सेवाएं समग्र रूप से समाज को उपलब्ध कराई जाती हैं, पेशे और उसके गलत तरीके के बीच शामिल होनी चाहिए, न कि शिकायतकर्ता और अपराधी वकील के बीच। अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित निकायों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उक्त पहलू पर जोर दिया गया है।

30. इसके बाद, न्यायालय ने मामले के तथ्यों से अवगत कराया और पाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा तीसरे आरोप के निपटान के संदर्भ से संतुष्ट नहीं थी, और केवल अपने निर्णय के लिए कारण बताने के लिए मामले को राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को भेज दिया। जैसा कि न्यायालय ने कहा, उक्त निर्देश निश्चित रूप से अपीलीय निकाय की शक्तियों के अंतर्गत था क्योंकि उसके पास 'जैसा उचित समझे' अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था, और ऐसा निर्णय लेते समय, इसे दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के तकनीकी नियम द्वारा रोका नहीं गया था।

31. प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि शब्द "ऐसे आदेश पारित करें जिन्हें वह उचित समझे" बीसीआई को मामले को राज्य बार काउंसिल में भेजने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा। हम पहले ही वैधानिक योजना और कानून के उद्देश्यों का उल्लेख कर चुके हैं। जैसा कि नरेंद्र सिंगल्ज़ (सुप्रा) में कहा गया है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मामले को रिमांड पर ले सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीसीआई, किसी शिकायत के हस्तांतरण पर मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। अतः

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपने नियमों पर भरोसा करके पारित किया गया आदेश पूर्णतया टिकाऊ नहीं है।

32. अपनी राय व्यक्त करने के बाद, आमतौर पर हम फैसले के औपचारिक हिस्से को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। यह कानूनी पेशे की कुलीनता से संबंधित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव, संजीव दत्ता के मामले में, न्यायालय ने विभिन्न उदाहरणों पर ध्यान देते हुए, जिन्हें कानूनी पेशे और न्याय प्रशासन दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया जाना चाहिए, इस प्रकार कहा: -

> "कानूनी पेशा एक पवित्र और गंभीर पेशा है। यह एक महान आह्वान है और इससे जुड़े सभी लोग इसके सम्माननीय सदस्य हैं। हालांकि इस पेशे में प्रवेश केवल तकनीकी दक्षता की योग्यता प्राप्त करके किया जा सकता है, एक पेशेवर के रूप में सम्मान को इसके सदस्यों को अदालत के अंदर और बाहर अपने अनुकरणीय आचरण द्वारा बनाए रखना होगा। कानूनी पेशा अन्य पेशों से इस मायने में अलग है कि वकील जो करते हैं, वह न केवल किसी व्यक्ति को बल्कि न्याय प्रशासन को भी प्रभावित करता है जो सभ्य समाज की नींव है। समाज के बुद्धिजीवियों के एक अग्रणी सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, वकील को अपने पेशेवर और अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आचरण करना होता है। समाज को उनसे ऐसे आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करने का अधिकार है।"

33. न्यायालय ने आगे कहा:-

"यदि पेशे को जीवित रखना है, तो न्यायिक प्रणाली को जीवंत बनाना होगा। प्रणाली को कुशल, प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में कोई भी सेवा छोटी नहीं होगी।" जिस लापरवाही और उदासीनता के साथ कुछ सदस्य इस पेशे का अभ्यास करते हैं, वह निश्चित रूप से उस उद्देश्य को प्राप्त करने या पेशे या जिस संस्थान में वे सेवा कर रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है। यदि इसके कुछ सदस्यों के विचलित तरीकों के कारण लोग इस पेशे में विश्वास खो देते हैं, तो न केवल पेशे को नुकसान होगा, बल्कि संपूर्ण न्याय प्रशासन को भी नुकसान होगा। यदि वर्तमान प्रवृत्ति की जाँच नहीं की गई तो यह एक ऐसे चरण में ले जाने की संभावना है जब सिस्टम बाहर से बर्बाद होने से पहले भीतर से बर्बाद हो जाएगा।"

34. उपरोक्त टिप्पणियों से न्यायालय को उम्मीद थी कि विपथन कम होगा। यद्यपि उक्त टिप्पणियों का प्रभाव पड़ा, फिर भी कुछ अधिवक्ताओं का कदाचार अभी भी जारी है।

35. सुधा बनाम अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, चेन्नई और अन्य 12 में, न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रबंधन के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों से निपटते समय, विभिन्न तथ्यों पर ध्यान दिया गया, टेलर्स समिति द्वारा पारित प्रस्तावों, शांतिपूर्ण बैठक के लिए गठित समिति द्वारा अपनाए गए उपकरणों का उल्लेख किया गया, और देखा गया: -

"कई बार यह देखा गया है कि जो लोग वकील नहीं हैं उन्हें केवल काला कोट पहनकर एसोसिएशन कक्ष में प्रवेश मिलता है क्योंकि चुनाव के समय भावनाएं चरम पर होती हैं। ऐसे तत्व स्थिति का अनुचित लाभ

उठाते हैं और अधिवक्ता संघ का नाम खराब करते हैं। इसलिए, ऐसे तत्वों को रोकने के लिए उपनियमों में संशोधन किया गया है। एसोसिएशन के उपनियमों में किए गए उन संशोधनों को आम तौर पर कानूनी बिरादरी के खिलाफ और विशेष रूप से बार के कनिष्ठ सदस्यों के खिलाफ नहीं माना जा सकता है।"

36. उक्त मामले के संदर्भ में, दो-न्यायाधीशों की पीठ यह कहने के लिए बाध्य हुईः -

"कानूनी पेशा अन्य पेशों से इस मायने में अलग है कि वकील जो करते हैं, वह न केवल किसी व्यक्ति को बल्कि न्याय प्रशासन को भी प्रभावित करता है जो सभ्य समाज की नींव है। समाज के बुद्धिजीवियों के एक अग्रणी सदस्य और एक बुद्धिमान नागरिक के रूप में, वकील को अपने पेशेवर और अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आचरण करना होता है।"

37. उपरोक्त अभिव्यक्ति पेशे की प्रकृति और कानूनी पेशे के सदस्यों से समाज की अपेक्षा को दर्शाती है।

38. धनराज सिंह चौधरी बनाम नाथूलाल विश्वकर्मा 13 में, यह देखा गया है कि एक वकील का अपने मुवक्किल के साथ व्यवहार करने का रवैया पूरी तरह से ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए और पेशेवर कदाचार के लिए सजा के दोहरे उद्देश्य हैं- निवारण और सुधार।

39. इन प्राधिकारियों पर ध्यान देने के बाद, हम कृष्ण अय्यर, जे. को वी.सी.रंगदुराई बनाम डी. गोपालन और अन्य 14 में कही गई बातों को दोहरा सकते हैं:-

"5. एक पेशे के रूप में कानून का बड़प्पन तभी तक रहता है जब तक सदस्य समुदाय के प्रति अखंडता और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं।"

40. इस संबंध में, पिएरो कैलामांड्रेई15 द्वारा न्यायाधीशों की स्तुति का एक भाषण उचित होगा:-

"अधिवक्ता और उन लोगों के बीच अंतर जो कानून को केवल एक व्यापार मानते हैं, वह यह है कि वे अपने ग्राहकों को कानून के अक्षर से आगे बढ़े बिना समाज के नैतिक मानकों का उल्लंघन करने की अनुमति देने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्व ऐसे सिद्धांतों की तलाश करते हैं जो उनके ग्राहकों को सामान्य नैतिक मानकों में कानून की भावना की सीमा के भीतर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।"

41. उपरोक्त घोषणाओं का उल्लेख करने का हमारा एक उद्देश्य है। एक वकील को महान पेशे का हिस्सा माना जाता है और समाज के एक विशिष्ट सदस्य के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर रूप से जिम्मेदार हो और लगातार खुद को याद दिलाए कि उसकी सेवाएं न्याय के उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती हैं। जैसा कि पामलुरंग दत्तात्रय खांडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे और अन्य'6 में कहा गया है, एक वकील वादियों के प्रति लोको पेरेंटिस में खड़ा होता है। उसका अपने ग्राहक के प्रति सर्वोपरि कर्तव्य है और ग्राहक निःस्वार्थ, ईमानदार और ईमानदार उपचार प्राप्त करने का हकदार है।

42. एक बार जब किसी वादी द्वारा शिकायत की जाती है, तो उसे एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और राज्य बार काउंसिल के कहने पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख या कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर

अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने के लिए अधिनियम के आदेश के अनुसार निपटा जाना आवश्यक है। कई अवसरों पर, इस न्यायालय के ध्यान में यह आया है कि राज्य बार काउंसिल का अनुशासनात्मक प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत का निपटान नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही बीसीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। अनुशासनात्मक कार्यवाही से निपटने की जिम्मेदारी राज्य बार काउंसिल पर डाली गई है जो अपनी अनुशासनात्मक समिति का गठन करती है। अनुशासन समिति का प्रत्येक सदस्य जानता है कि कार्यवाही एक वर्ष के भीतर समाप्त की जानी है। शिकायतकर्ता और अपराधी वकील को सहयोग करना आवश्यक है। जो कुछ करना आवश्यक है उसे न करना गैर-जिम्मेदारी के समान है और जिम्मेदारी निभाने में किसी संस्था या वैधानिक निकाय की प्रतिष्ठा निहित होती है। कोई भी निर्णय लेने में हमेशा सही नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय लेने से पीछे हटना और मामले को कानून के संचालन द्वारा बीसीआई को स्थानांतरित करने की अनुमति देना नहीं है। एक वैधानिक प्राधिकारी खुद को लगातार यह याद दिलाने के लिए बाध्य है कि क़ानून का आदेश समीचीन है और समय की शर्त अनिवार्य है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुशासन समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह एक समय सीमा के भीतर अपना कर्तव्य निभाए न कि दोषपूर्ण स्थिति पैदा करे। यह याद रखना बेहतर है कि अपनी अंतरात्मा को स्पष्टीकरण देना हर चीज़ को "दुर्घटना" पर दोष देने जैसा है। जब कर्तव्य कानून द्वारा दिए जाते हैं, तो कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है।

43. हमने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर, हमें लगता है कि यह उचित होगा कि राज्य बार काउंसिल अनुशासनात्मक समिति की प्रगति के संबंध में प्रत्येक बैठक में मामलों का समय-समय पर जायजा लें, देरी के कारण का पता लगाएं और शीघ्रता से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करें ताकि परिषद, एक वैधानिक निकाय के रूप में, अधिनियम के तहत आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य निभाए।

44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं, बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और हम इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति को भेज देते हैं। रजिस्ट्री को इस फैसले की एक प्रति प्रत्येक राज्य बार काउंसिल के सभी सचिवों को भेजने का निर्देश दिया गया है, जो राज्य बार काउंसिल के सदस्यों को सूचित कर सकते हैं ताकि उचित कदम उठाए जा सकें। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति.

(यह अनुवाद एआई टूल: सुवास की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।